शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना–800001
भाड़े पर वाहन हेतु निविदा का आमंत्रण

"बिहार राज्य मध्याह्न भोजना योजना समिति" के मुख्यालय व्यवहार हेतु भाड़े पर अनुबंध के आधार पर वाहन रखने हेतु मासिक आधार पर निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा से संबंधित डॉक्यूमेन्ट BRMBYS के Website www.mdmsbihar.org या BRMBYS कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है।

1. अग्रधन रू० 5,000/–(पाँच हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति ,पटना के नाम से देय होगा जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

2. निविदा जमा/प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 12.01.2016 समय 4.00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/या स्वयं निविदा बॉक्स में निदेशक–सह–सचिव बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग पटना–01 को भेजी जा सकती है। निर्धारित अवधि तक डाले गये निविदा मान्य होगा, विलंब से प्राप्त निविदादाता से निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा दिनांक 12.01.2016 समय 5.00 बजे अपराह्न को "बिहार राज्य मध्याह्न भोजना समिति" कार्यालय में निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। किसी परिस्थिति में यह समय बढ़ने पर इसकी सूचना निविदादाता को दे दी जायेगी।

4. प्री–बीड मिटिंग दिनांक 24.12.2015 को 4.00 बजे अपराह्न बजे सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजना योजना समिति के कार्यालय में होगी ।

5. सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजना योजना समिति, बिहार, पटना के पास किसी भी समय निविदा को संशोधित अथवा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

सचिव
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति
–सह–
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना–800001
भाड़े पर वाहन हेतु निविदा का आमंत्रण

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना राज्य कार्यालय व्यवहार हेतु भाड़े के वाहन यथा स्कार्पियो, इनोभा एवं इंडिगों वाहन की आवश्कता है।

1. इच्छुक निविदादाता अलग–अलग लिफाफे में तकनिकी एवं वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा कर सकेगें। तकनिकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे को सील करने के उपरांत निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/या स्वयं निविदा बॉक्स में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना–800001 के पते पर भेजी जा सकती है।
2. निविदादाता द्वारा तकनिकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जायेगें।

(i) निविदादाता फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कि स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ii) पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(iii) Service Tax, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।

(iv) अग्रधन कुल 5000/–(पाँच हजार रूपये) की बैंक ड्राफ्ट बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना के नाम से देय होगा। निविदा में असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि वापस की जायेगी एवं सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि को उनके Performance Security से समायोजित की जायेगी।

(v) इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा की उन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

2. निविदा के अन्य शर्तः–

(i) निविदा की अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी एवं वह अवधि आगे बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना के प्रबंधन समिति मात्र निर्णय के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

(ii) निविदादाता के फर्म को किसी भी समय आदेश दिये जाने के उपरात गंतव्य/निर्देशित स्थान के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी।

(iii) कार्य हेतु स्वीकृत सफल फर्म का दर एक वर्ष के लिए मान्य होगी। फर्म द्वारा गाड़ी अस्मर्थता व्यक्त की जाने की स्थिति में अग्रधन वापस नहीं किया जा सकेगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कारवाई कि जायेगी।

(iv) निविदा से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं रहने पर या अपूर्ण कागजात देने की स्थिति पर निविदा को अमान्य करार कर दिया जायेगा।

(v) निविदादाता द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्र/ अभिलेख उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा इसकी मान्यता नहीं दी जायेगी एवं किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र/अभिलेख असत्य पाये जाने पर किसी भी समय इनकी निविदा रद्व कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई की जायेगी।

(vi) नियमानुसार सभी करों की कटौती के उपरांत ही मासिक किराया का भुगतान किया जायेगा।

(vii) सफल निविदादाता को शर्ते के अनुरूप एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

(viii) निविदा में सफल निविदादाता को अनुबंध करने से पूर्व Performance Security के रूप में वर्ष में प्राप्त होने वाले अनुमानित कुल राशि का 7.5% का बैंक ड्राफट/BANK Security बिहार राज्य मध्याह्न भेाजन योजना समिति, पटना के नाम से देय होगा, जो कार्यालय में जमा करना होगा जो संविदा के समाप्ति के दो महीने के बाद कार्य के संतोषप्रद होने कि स्थिति में लौटाया जायेगा।

(ix) वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं करने पर औसत दैनिक दर से दोगूनी दर की वसूली निविदादाता से की जायेगी।

(x) चालक के अस्वस्थ या अनुपस्थित होने पर तत्काल दूसरें चालक/वाहन की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

(xi) वाहन के आवश्यक मरम्मती/अन्य कोई का वहन निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।

(xii) अंकित दर सभी करों, निबंधन चालक व्यय, प्रदुषण जाँच, बीमा, मरम्मति, एवं रख–रखाव के साथ मानी जायेगी।

(xiii) टॉल टैक्स एवं पार्किंग चार्ज वास्तविक ,खर्च के आधार पर संबंधित कागजात समर्पित करने पर भूगतान किया जायेगा।

(xiv) बिहार राज्य में वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहन ही भाड़े पर लियें जायेगें। यदि वाहन का वाणिज्यिक निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर वाहन का वाणिज्यिक निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित पूरी जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।

(xv) निविदादाता को अच्छी स्थिति में (Well maintained) वाहन उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी तथा एक साल से ज्यादा पुराना वाहन की सेवा नहीं ली जायेगी। आवश्यकता अनुसार वाहन नया क्रय कर उपलब्ध कराया जा सकता है।

(xvi) वाहन परिचालन के दौरान किसी प्रकार की क्षति या आकस्मिक दुर्घटना के लिए समिति जिम्मेवार नहीं होगा।

(xvii) प्रति–दिन की गणना हेतु मध्यकाल से दूसरे दिन के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगा।

(xviii) निविदादाता द्वारा वाहन नहीं उपलबध कराने की स्थिति में अथवा उपलब्ध कराये गये खराब वाहनों की स्थिति एवं सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा Performance Security की जमा राशि का जब्त करने के साथ–साथ उनकी संविदा समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(xix) वाहन कि रिपोटिंग समय सक्षम पदाधिकारियों के निदेशानुसार होगी।

(xx) समिति प्रबंधन को कार्यहित एवं सुविधा की दृष्टिकोण से स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या उसे अधिक फर्मो कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार होगा।

(xxi) अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय निविदा का संशोधन/स्थगित या रद्द कर सकते है। इसके विरूद्ध कोई भी दावा कहीं भी स्वीकार नहीं हेागी।

(xxii) समिति प्रबंधन को यह सर्वाधिकार होगा कि बिना किसी कारण बतायें किसी भी एक महीना पूर्व की नोंटिस देकर निविदा के अनुबंध को किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा एवं इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(xxiii) गाड़ियों का प्रकार एवं संख्या समिति के द्वारा तय कि जायेगी एवं निविदादाता उक्त आदेश को मानने के लिए बाध्य होगें एवं यदि किसी के द्वारा आदेश का पालन नहीं करने कि स्थिति में दूसरे निविदादाता को आदेश दिया जा सकेगा साथ ही उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(xxiv) निविदादाता वाहन का केवल मासिक दर (ईधन रहित) ही अंकित करेगें।

(xxv) वाहन का वाणिज्यक निबंधन/सर्विस टैक्स होना आवश्यक है। यदि वाहन का वाणिज्यक निबंधन/सर्विस टैक्स न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर वाहन/सर्विस टैक्स निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित पूरी जिम्मेवारी तथा कर एवं अन्य शुल्क देयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।

(xxvi) वाहन सामान्यतः पटना में ही चलेगी। यदा–कदा बिहार के अन्य जिलों में भ्रमण हेतु जायेगी।

(xxvii) विवाद की स्थिति में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भेाजन योजना समिति, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना–800001 का निर्णय मान्य होगा।

(xxviii) वाहन का उपयोग Out of station के लिए भी की जाएगी। इस हेतु Night Halt Charge @Rs. 200 Per Night के आधार पर की जायेगी।

(क) <u>तकनीकी निविदा</u>

निविदादाता द्वारा तकनिकी निविदा के लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जायेगें।

(i) निविदादाता फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कि स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ii) पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(iii) Service Tax, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।

(iv) अग्रधन कुल 5000/–(पाँच हजार रूपये) की बैंक ड्राफ्ट बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार पटना के नाम से देय होगा। निविदा में असफल निविदादाता को अग्रधन की राशि वापस की जायेगी एवं सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि को उनके Performance Security से समायोजित की जायेगी।

(v) इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा की उन्हें केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।

नोट– 1.आवश्यकता अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है।
2.तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में देना आवश्यक होगा।

(ख) <u>वित्तीय निविदा का प्रारूप</u>

मासिक दर ईधन रहित (चालक, वाहन का रख–रखाव सहित)

क्र० सं०	गाड़ी का प्रकार	गाड़ी मॉडल एवं वर्ष	मासिक दर ईधन रहित (चालक, रख रखाव आदि सहित)	
			अंको में	शब्दों में
1.	स्कार्पियों	ए०सी०		
2.	इनोभा	ए०सी०		
3.	इंडिगो	ए०सी०		

नोट– 1.आवश्यकता अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है।
2.तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में देना आवश्यक होगा।

सचिव
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति
–सह–
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।